परिशिष्ट-1

दिवंगत पुलिस कर्मचारियों के आश्रितों की उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु प्रक्रिया

1) शारीरिक दक्षता परीक्षा का संचालन बोर्ड द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित अध्यक्ष एवं सदस्य होगें :-
   1. जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट- डिप्टी कलेक्टर - अध्यक्ष
   2. जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक पुलिस उपाधीक्षक- सदस्य
2) शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होना आवश्यक है । शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिये पुरूष अभ्यर्थियों को 4.8 कि0मी0 की दौड़ 28 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 कि0मी0 की दौड़ 16 मिनट में पूरा करना आवश्यक होगा। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं,वे असफल घोषित किये जायेगें ।
3) समिति द्वारा मैनुअल टाइमिंग प्रयोग किये जाने की अनुमति नहीं होगी। सी0सी0टी0वी0 कवरेज सहित मानकीकृत इलेक्ट्रानिक टाइमिंग उपकरण और पर्याप्त बैकअप के साथ बायोमैट्रिक्स का प्रयोग यथार्थता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं वेषपरिर्वन से बचने के लिये किया जायेगा ।
4) समिति नीचे दी गयी प्रक्रिया का पालन करेगी :-

   (एक) बोर्ड द्वारा प्रतिदिन परीक्षण कराये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का अवधारण किया जायेगा और उनका विनिश्चय परीक्षण कराये जाने वालों की कुल संख्या एवं विद्यमान दशाओं पर आधारित होगा ।

   (दो) इस परिशिष्ट के खण्ड 2 में न्यूनतम शारीरिक दक्षता मानकों की सूचना परीक्षण स्थल पर सूचना पट् ट पर प्रदर्शित की जायेगी ।

   (तीन) इस परीक्षण का परिणाम परीक्षण स्थल पर सूचना पट् ट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित किया जायेगा और यदि सम्भव हुआ तो यथाशीघ्र बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित कियाजायेगा ।

   (चार) संगठनात्मक समिति, जिसमें परीक्षण अभिकरण यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, के ऐसे सदस्य जो जानबूझ कर ऐसा कार्य करते हैं , जो गलत हो या किसी ऐसे कार्य को करते हैं, जिससे किसी अभ्यर्थी को अनुचित लाभ पहुँचता हो या उसका अहित होता हो, तो वे दाण्डिककार्यवाही/ या विभागीय कार्यवाही के भागी होंगे ।

   (पाँच) सफल एवं असफल अभ्यर्थियों की सूची समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जायेगी ।

   (छः) बहिर्कक्ष परीक्षण इस प्रकार किये जायेगें कि परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके और उन्हें बिना किसी हस्तगत मध्यक्षेप के यांत्रिक रूप से अभिलिखित किया जा सके ।

   (सात) अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे दिये गये दिनांक और समय पर उपस्थित हों । शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिये निर्धारित तिथि एवं समय पर अनुपस्थित अथवा परीक्षा में भाग लेकर परीक्षा में असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को

दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो, पुन:परीक्षा के लिए अपील नहीं की जा सकेगी, परन्तु दैवीय/ अपरिहार्य कारणों (वर्षा अथवा तकनीकी कठिनाई) से उस तिथि की परीक्षा पूर्णत: अथवा आंशिक बाधित होने की दशा में बोर्ड द्वारा किसी अन्य तिथि पर परीक्षा आयोजन की जा सकती है।

टिप्पणी :- समस्त वीडियों, अभिलेखों में व्यक्तिगत गोपनीयता का सम्मान रखा जायेगा और अभिलेख को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा तथा किसी न्यायालय को उसके सम्मन किये जाने पर या किसी जॉच अधिकारी को बोर्ड की अनुमति से उपलब्ध कराया जायेगा।